



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253435
CG-DL-E-28032024-253435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1496]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946

No. 1496]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 1577(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह नियत करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित क्रम संख्यांक 6 के सामने, उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में उल्लिखित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में उल्लिखित संशोधन 31st December, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एक्स.11035/127/2023-डीआर]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

S.O. 1577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2023(18 of 2023), the Central Government hereby appoints that the amendments mentioned to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) mentioned in column (5) of the Schedule to the said Act, against serial number 6 mentioned in column (1) of the said Schedule, shall come into force from the 31st December, 2024.

[F. No. X.11035/127/2023-DR]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)